6.3.1 – leave detail

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

बाल्य देखभाल अवकाश

क्रम संख्या	प्राध्यापक का नाम	विभाग	दिनांक
1	डॉ0 शिवानी रावत	इतिहास	12–07–2024 से 31–07–2024 तक
2	प्रो0 कल्पना अग्रहरि	राजनीतिशास्त्र	27–08–2024 से 24–12–2024 तक
3	डॉ0 नीता आर्या	संस्कृत	03–12–2024 से 20–12–2024 तक

मातृत्व अवकाश

प्राध्यापक का नाम	विभाग	दिनांक
दीपिका भट्ट (अतिथि व्याख्याता)	शिक्षा संकाय	25–10–2023 से 31–12–2023 तक
श्रीमती आकांक्षा शैली (अतिथि व्याख्याता)	शिक्षा संकाय	01–05–2024 से 30–06–2024 तक
डॉ0 ज्योति पाण्डे (अतिथि व्याख्याता)	प्रबन्ध अध्ययन	04–01–2023 से 31–05–2023 तक
डॉ0 पूजा जोशी (अतिथि व्याख्याता)	वाणिज्य	01–08–2024 से 31–12–2024 तक
डॉ0 दीपशिखा जोशी (अतिथि व्याख्याता)	रसायन	15–04–2024 से 30–06–2024
श्रीमती कोमल चन्द्रा (अतिथि व्याख्याता)	फार्मेसी	12–07–2023 से 31–12–2023 तक

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

CCL

Sl. NO	Name	Subject	Date	Total Days
1	Dr. Archana Negi Sha	Pharmacy	24-02-2023 To 24-03-2023	29 Days
2	Dr. Seema Pande	Physics	13-02-2024 To 11-06-2024	120 Days
	Dr. Seema Pande	Physics	11-09-2023 To 30-12-2023	111 Days
3	Dr. Shivani Rawat	History	12-07-2024 To 31-07-2024	20 Days
4	Dr. Kalpana Agrahari	Political Science	27-08-2024 To 24-12-2024	120 Days
	Dr. Kalpana Agrahari	Political Science	12-02-2024 To 16-03-2024	34 Days
5	Dr. Neeta Arya	Sanskrit	03-12-2024 To 20-12-2024	18 Days

Paternity Leave

Sl. NO	Name	Subject	Date	Total Days
1	Dr. Deepak Kumar	Mathematics	30-10-2023 To 13-11-2023	15 Days

17/01/2025
भूपाल सिंह करायत
प्रधान सहायक

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTRAKHAND)

मातृत्व अवकाश (वर्ष 2023–2024)

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	अनुभाग का नाम	दिनांक (कब से कब तक)
01.	श्रीमती तनुजा जोशी, चतुर्थ श्रेणी	सामान्य अनुभाग, कु0वि0वि0 नैनीताल	17.11.2023 से 14.05.2024
02	श्रीमती ज्योति जोशी, दैनिक वेतन (तृतीय श्रेणी)	केन्द्रीय पुस्तकालय, कु0वि0वि0 नैनीताल	04.12.2023 से 31.05.2024

15/04/2025
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कुमाऊँ विश्वविद्यालय
नैनीताल

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTRAKHAND)

बाल्य देखभाल अवकाश (वर्ष 2023–2024)

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	अनुभाग का नाम	दिनांक (कब से कब तक)
01.	श्रीमती निर्मला राणा, प्रधान सहायक	केन्द्रीय पुस्तकालय, कु0वि0वि0 नैनीताल	26.02.2024 से 23.03.2024
02	श्रीमती पूनम आर्या, प्रधान सहायक	शोध अनुभाग, कु0वि0वि0 नैनीताल	12.02.2024 से 06.03.2024

15/01/2025
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कुमाऊँ विश्वविद्यालय
नैनीताल

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTRAKHAND)

पितृत्व अवकाश (वर्ष 2023–2024)

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	अनुभाग का नाम	दिनांक (कब से कब तक)
01.	श्री बृजमोहन सिंह, सहायक कुलसचिव	परीक्षा अनुभाग कु0वि0वि0 नैनीताल	18.12.2023 से 01.01.2024
02	श्री प्रदीप कुमार आर्या कनिष्ठ सहायक	सामान्य अनुभाग कु0वि0वि0 नैनीताल	27.12.2023 से 10.01.2024
03	श्री नरेन्द्र, कनिष्ठ सहायक	सामान्य अनुभाग कु0वि0वि0 नैनीताल	30.11.2023 से 14.12.2023

17475/2024

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–4
संख्या–17475/XXIV-C-4/2024-05(04)/2017(E-58008)
देहरादूनः दिनांक 12 जून, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विनियम, 2018 के नियम 8.4.9 में महिला कार्मिकों के लिए बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था हैः–

"Women teacher having minor children may be granted leave up to two years for taking care of their minor children. Child care leave for maximum period of two year (730 days) may be granted to the women teacher during entire service period in lines with Central Government women employees. In the cased, where the child care leave is granted more that 45 days, the University/College/Institution may appoint a part time/guest substitute teacher with intimation to the UGC."

2– वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–126942/ XXVII(7)/ई0–19943/2022, दिनांक 01.06.2023 के क्रम में यू0जी0सी0 से आच्छादित पदों पर कार्यरत कार्मिकों/एकल अभिभावकों को सम्पूर्ण सेवाकाल में 02 वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किये जाने संबंधी उच्च शिक्षा अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–418/XXIV(7)/45(4)/2011, दिनांक 06 जून, 2012 को अधिक्रमित करते हुए यू0जी0सी0 से आच्छादित कार्मिकों/एकल अभिभावकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– बाल्य देखभाल अवकाश आवेदन के समय पाल्य का प्रमाणित जन्म प्रमाण–पत्र उपलब्ध/ प्रस्तुत करना होगा।

2 – शासनादेश संख्या–126942/XXVII(7)/ई0-19943/2022, दिनाँक 01 जून, 2023 के बिन्दु–5 में न्यूनतम 05 दिवस से कम अवधि एवं 120 दिवसों से अधिक स्वीकृत न किये जाने का प्राविधान है। उक्त के दृष्टिगत विभाग में अधितकतम 30 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश महाविद्यालय प्राचार्य स्तर से स्वीकृत किया जाएगा तथा 30 दिन से अधिक व 120 दिन तक की अवधि का अवकाश उच्च शिक्षा निदेशक स्तर से स्वीकृत किया जाएगा।

3– प्राध्यापक को महाविद्यालय से 30 दिन तक का अवकाश स्वीकृत कराने पर यदि उक्त के मध्य विस्तारण की आवश्यकता होती है तो उन्हें 30 दिन के उपरान्त महाविद्यालय में योगदान प्रस्तुत करने के उपरान्त ही पुनः बाल्य देखभाल अवकाश महाविद्यालय/ निदेशालय से नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा परन्तु किसी भी दशा में पूर्व स्वीकृत बाल्य देखभाल अवकाश के क्रम में उसे विस्तारित करने का प्राविधान नहीं होगा।

4– 30 दिन तक की अवधि तक के लिये गये बाल्य देखभाल अवकाशों के दृष्टिगत शिक्षक को इस आशय का प्रमाण–पत्र अपने महाविद्यालय प्राचार्य को देना होगा कि अवकाश से लौटने के उपरान्त अपने विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेकर ससमय पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे।

5– 30 दिन से अधिक व 120 दिन तक के बाल्य देखभाल अवकाश के क्रम में निदेशालय द्वारा उक्त अवधि हेतु सम्बन्धित विषय के वैकल्पिक शिक्षक की यथा आवश्यकता ऑनलाइन या भौतिक रूप से व्यवस्था/सम्बद्धता की जायेगी।

6– बिना प्राचार्य द्वारा अग्रसारित बाल्य देखभाल आवेदन पर निदेशालय स्तर पर विचार नहीं किया जायेगा।

7– कार्मिक को बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृति के पश्चात् ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति होगी अन्यथा सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी जिसके लिए कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा।

8– कार्य एवं संस्थाहित में बाल्य देखभाल अवकाश हेतु महाविद्यालय स्तर पर अर्ह कार्मिकों के संवर्ग में से 'एक ही समय' पर यथासम्भव 10 प्रतिशत से अधिक को बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत न किया जाय।

9– बाल्य देखभाल अवकाश हेतु कार्मिकों को कम से कम 07 दिवस पूर्व निर्धारित आवेदन पत्र पर ही आवेदन करना होगा।

10– शेष शर्तें मूल शासनादेश संख्या–126942/XXVII(7)/ई0–19943/2022, दिनाँक 01.06.2023 एवं संख्या–188599/XXVII(7)/ई0–19943/2022, दिनाँक 08.02.2024 के अनुसार रहेंगी।

11– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विनियम, 2018 द्वारा अवकाश के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था उक्त सीमा तक प्रभावी होगी।

12– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/199651/ 2024/XXVII(7)/2024, दिनांक 16.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 12-06-2024 11:37:10

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या–I/217475/XXIV-C-4/2024-05(4)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2–सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तराखण्ड।

3–कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार नियमों के अन्तर्गत संगत परिनियनावली में तद्नुरूप संशोधन/ प्रावधान करने का कष्ट करें।

4–निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

5–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।

6–वित्त अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी–द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।

7–अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड को सूचित/अवगत कराने का कष्ट करें।

8–गार्ड फाईल।

Signed by Byomkesh Dubey
Date: 12-06-2024 13:15:53

आज्ञा से

(ब्योमकेश दूबे)
उपसचिव।

Pl. action as per direction

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक : 10 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2017

विषय : महिला सरकारी सेवकों को 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' (**Child Adoption Leave**) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक, लोक–शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–13018/1/2009–स्थापना (छुट्टी) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मौलिक रूप से नियुक्त (substantive appointment) स्थायी/अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) ऐसे महिला सरकारी सेवक, जिनके दो से कम जीवित संतानें हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लिया गया हो, को पूरे सेवाकाल में एक बार अधिकतम 180 दिन के 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' (Child Adoption Leave) की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(2) बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश का लाभ उन महिला कर्मचारियों को भी देय होगा, जिन्होंने इस शासनादेश के जारी होने से पूर्व एक वर्ष से कम आयु के शिशु को गोद लिया हो, परन्तु उक्त सुविधा गोद लिये गए शिशु की आयु एक वर्ष पूर्ण होने तक की ही अवधि हेतु (अधिकतम 180 दिनों की सीमा के अंतर्गत रहते हुए) अनुमन्य होगी।

(3) इस अवकाश अवधि के दौरान महिला सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन के समतुल्य 'अवकाश वेतन' देय होगा।

(4) बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश के साथ किसी अन्य प्रकार का अवकाश, जो नियमानुसार अनुमन्य हो और जिसके लिये यथा–प्रकिया आवेदन किया गया हो, भी स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अवकाशों की कुल अवधि (बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश सहित) एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) यदि किसी महिला सरकारी सेवक के शिशु गोद लेने के समय दो या अधिक जीवित संतानें हों, तो उन्हें 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(6) उक्त अवकाश भारत सरकार के Adoption Regulations, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) व अन्य तत्संबंधी आदेशों के अंतर्गत केवल वैधानिक (valid adoption) रूप से गोद लिए गए शिशु के लिए ही अनुमन्य होगा।

(7) उक्त अवकाश 'मातृत्व अवकाश' की भांति स्वीकृत किया जायेगा।

(8) 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' को अवकाश लेखे के नामे नहीं डाला जायेगा।

2. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संगत अवकाश नियमों में तद्नुसार आवश्यक संशोधन यथा समय किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–168/XXVII(7)34(1)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. निबन्धक, उत्तराखण्ड मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

/153174/2023

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7

संख्या–153174/XXVII(7)/E-41734/2022

देहरादून: दिनांक 11 सितम्बर, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में राज्य सरकार क नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं वाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन अधिनियम मे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर अधिनियम मे दिये गये निदेशानुसार प्रसूति/मातृत्व अवकाश की सुविधा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) विभागीय माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को नियोक्ता द्वारा एवं वाह्य स्रोत से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा प्रसूति अवकाश अनुमन्य किया जायेगा।

(ii) प्रसूति अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान यथाप्रकिया नियोक्ता के द्वारा किया जायेगा।

(iii) प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में संबन्धित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 11-09-2023 18:34:23

(दिलीप जावलकर)

सचिव।

(72)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे०आ०--सा०नि०) अनुभाग--7
संख्याः 188599/ XXVII(7) / ई--19943 / 2022
देहरादून, दिनांकः 08 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप / संशोधन

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों / एकल अभिभावक (महिला / पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किए जाने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 126942 / XXVIII(7) / ई--19943 / 2022 दिनांक 01.06.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश के बिन्दु सं0 viii को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं--

viii. "राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों / एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे / आहरित वेतन के समतुल्य 'अवकाश वेतन' देय होगा।"

2. शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.06.2023 को आदेश लागू होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 08-02-2024 11:33:28
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः 188599/ XXVII(7) / ई--19943 / 2022, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायुं, पौड़ी / नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार, पेंशन व हकदारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
12. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की।
14. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
Signed by Ganga Prasad
Date: 08-02-2024 11:38:24
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या– ~~ /XXVII(7)34(1)/2009
देहरादून : दिनांक 12 अगस्त, 2016
सितम्बर,

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के अस्थायी/स्थायी महिला सेवकों को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–250/XXVII(7)/2009 दिनांक 24 अगस्त, 2009 द्वारा 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया है।

2. प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में राज्य के वित्तीय नियमों में कोई प्राविधान उपबन्धित नहीं हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित), जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है, के अनुसार विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गयी है।

3. शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थानों आदि में विभागीय/बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर प्रसूति अवकाश की सुविधा, उस सीमा तक जो निर्धारित की गयी हो, विभागीय संविदा से नियोजित कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा एवं बाह्य स्रोत से नियोजित कार्मिकों को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा अनुमन्य की जायेगी। अवकाश अवधि के संविदा वेतन का भुगतान यथाप्रकिया नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।

4. संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियुक्त कार्मिक तथा नियोक्ता के मध्य होने वाले अनुबन्ध पत्र में ही प्रसूति अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

5. प्रसूति अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 190 / XXVII(7)34(1) / 2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निबन्धक, उत्तराखण्ड मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त सेवा प्रदाता संस्था, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।